प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

तामील	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
15/1/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 17/2/26 को पेश हो।	
17/2/26	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 11/3/26 को पेश हो	
11/3/26	वकील वादी उप०। जवाब पैरोकार सरकार पेश किया। पत्रावली वास्ते बहस दि० 24/3/26 को पेश हो।	
24/3/26	वकील वादी उप०। बहस वाद पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 25/3/26 को पेश हो।	
25/3/26	वकील वादी उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील वादी ने वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को संक्षेप में दोहराते हुये निवेदन किया कि कृषि भूमि खसरा सं0 382 रकबा 18 बिस्वा, खसरा सं0 383 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा वाके ग्राम केथूदा पटवार हल्का कैथूदा तहसील तालेडा जिला बून्दी राज0 में विस्थित है। उक्त कृषि भूमि वादी को भूमिहीन होने से आवंटन परामर्शदात्री समिति मुकाम बल्लोप तत्कालीन तहसील बून्दी जिला बून्दी द्वारा जर्ये मिसल संख्या 43 दिनांक 23.07.1984 से आवंटन की गई थी तथा वादी ने आवंटन किश्त के 110/- रूपये चालान नंबर 1827 दिनांक 09.10.1984 से जमा करवा दी गई थी। वादी को आवंटन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की पालना करने के उपरान्त उक्त आवंटित कृषि भूमि पर दखल नामा (कब्जा) सम्भला दिया गया था तथा आवंटन परामर्शदात्री समिति द्वारा उक्त भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरण तत्काल खोले जाने के आदेश तत्कालीन तहसीलदार सा0 बून्दी को प्रदान किये गये थे। उक्त भूमि आवंटन के समय से ही वादी के कब्जे काश्त में है जिसे वादी ने कडी मेहनत से फाड तोडकर कृषि योग्य बनाया है। उक्त भूमि के अलावा प्रार्थी के	

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

पास अन्य कोई जीविकोपार्जन का साधन नही है। उक्त भूमि पर निरन्तर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त होने के उपरान्त भी वादी को उक्त कृषि भूमि पर गैरखातेदारी व खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये गये है। इस बाबत वादी ने तहसीलदार से भी कई बार निवेदन कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करने का निवेदन किया। किन्तु तहसीलदार तालेडा द्वारा इस बाबत कोई कार्यवाही नही की। वादी को अधिकार प्राप्त है कि वह वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी की घोषणा करवाये। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में अपना नाम खातेदारी में दर्ज करवाये। वादी के पक्ष में इसी आशय की डिक्री पारित की जावे।

पेरोकार सरकार ने दोराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में कोट्य विकास प्राधिकरण के नाम दर्ज रिकार्ड है। वादग्रस्त आराजी वादी को चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री नियम 10 के अन्तर्गत आवंटन संबंधित नियम 1956 के तहत दिनांक 23.07.1984 को आवंटित की गयी थी। जिस पर नियमानुसार आरक्षित मूल्य जमाकर तत्समय आवंटित भूमि को वादी गेरखातेदारी में दर्ज करवाकर नियम/शर्तो की पालना में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने थे। किन्तु वादी द्वारा तत्समय आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये। आवंटित भूमि पर गेरखातेदारी एवं खातेदारी अधिकार प्रदत करने हेतु पृथक से प्रक्रिया निर्धारित की गयी है वादी को उक्त प्रक्रिया के तहत चाराजोही कर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने चाहिये थे। वाद वादी खारिज योग्य है।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी। बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादग्रस्त आराजी वादी को चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन तथा बिक्री नियम 10 आवंटन संबंधित नियम 1956 के तहत दिनांक 23.07.1984 को आवंटित की गयी थी। जिस पर नियमानुसार आरक्षित मूल्य जमाकर तत्समय आवंटित भूमि को वादी गेरखातेदारी में दर्ज करवाकर नियम/शर्तो की पालना में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने थे। किन्तु वादी द्वारा तत्समय आवंटन शर्तो की पालना नही किये जाने से आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही हुये। वर्तमान में वादग्रस्त आराजी कोट्य विकास प्राधिकरण की परिसीमा के अधिन है जिसमे राज्य सरकार द्वारा आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त करने हेतु पृथक से प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, जिसके तहत वादी प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत आवेदन कर आवंटन प्रक्रिया की समस्त शर्तो की पालना करते हुये वादग्रस्त आराजी पर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत वादी को आवंटनशुदा भूमि बाबत इस स्तर पर किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अतः वाद वादी वादग्रस्त आराजी आवंटन प्रक्रिया के अध्याधीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।